(क) राजस्थान स्टेट रोडवेज में केन्द्रीय सरकार का (१) पूंजी के रूप में और (२) ऋण के रूप में कितना धन लगा हुआ है ;

(ख) राजस्थान रोड़वेज के लाभांश की किन किन वर्ष की कितनी कितनी रकम बकाया है ;

(ग) उक्त रकम की वसूली के लिये क्या क्या प्रयत्न किये गये हैं ; और

(घ) उक्त रकम के कब तक वसूल होने की आशा है ?

t [RAILWAYS INVESTMENTS IN RAJASTHAN STATE ROADWAYS

271. SHRI V. M. CHORDIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the amount invested by Central Government in Rajasthan State Roadways in the form of (i) capital and (ii) loans;

(b) the years for which dividends of the Rajasthan Roadways are in arrears together with the amount of arrears in respect of each year;

(c) the efforts made for the recovery of the said amount; and

(d) the time by when the said amount is likely to be recovered?]

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० वी० रामस्वामी): (क) और (ख) राजस्थान स्टेट रोडवेज राज्य सरकार की विभागीय सम्पत्ति है। केन्द्रीय सरकार ने इस रोडवेज में न कोई पूंजी लगायी है और न इसे कोई कर्ज दिया है। लेकिन राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप भूतपूर्व बम्बई राज्य सड़क परिवहन निगम की परिसम्पत्तियां (जिनका मूल्य लगभग दस लाख रुपये था) राजस्थान को अंतरित कर दी गई थीं। इन परिसम्पत्तियों में केन्द्रीय सरकार का हिस्सा लगभग ३.३९ लाख रुपए है। ४$\frac{1}{2}$% की दर से (वही दर जिस पर भूतपूर्व बम्बई राज्य सड़क परिवहन निगम पूंजी पर सूद देता था) इस रकम पर प्रति वर्ष लगभग १५,२५० रुपए सूद के आते हैं। १९५७-५८ से सूद की रकम अब तक नहीं मिली है, क्योंकि संबन्धित राज्यों के बीच अभी हिसाब-किताब अंतिम रूप से तय नहीं हो पाया है।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से सक्रिय रूप से लिखा-पढ़ी की जा रही है।

[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI S. V. RAMASWAMY): (a) and (b) Rajasthan State Roadways are departmentally owned by the State Government. The Central Government have neither invested capital in nor granted any loan to, this Roadways. However, consequent to the reorganisation of States, assets (value approximately Rs. 10 lakhs) belonging to the erstwhile Bombay State Road Transport Corporation, were transferred to Rajasthan. Central Government's share in these assets is roughly Rs. 3-39 lakhs. Interest payable on this amount at 4J% (same rate at which the erstwhile B'ombay State Road Transport Corporation paid interest on capital) comes to about Rs. 15,250 per annum. Interest due since 1957-58 has not been received so far, as the accounts between the concerned States, have not yet been finalised.

(c) and (d) The matter is being pursued actively with the State Government.]

चम्बल बांध परियोजना से सिंचाई

२७२. **श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चम्बल बांध परियोजना से (१) राजस्थान और (२) मध्य प्रदेश की कुल कितने एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है ;

(ख) इस परियोजना के अधीन (१) राजस्थान और (२) मध्य प्रदेश में इस समय वस्तुतः कितने एकड़ भूमि में सिंचाई हो रही

(ग) सिंचाई क्षमता का कम उपयोग करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) (१) राजस्थान और (२) मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कब तक इसकी क्षमता के अनुरूप सिंचाई हो पाने की संभावना है ?

f[IRRIGATION FROM CHAMBAL DAM PROJECT

272. SHRI V. M. CHORDIA: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) the*tptal acreage of land in (i) Rajasthan and (ii) Madhya Pradesh which can be irrigated by the Chambal Dam Project;

(b) the acreage of land which is actually being irrigated at present under this project in (i) Rajasthan and (ii) Madhya Pradesh;

(c) the reasons for less utilisation of the irrigation capacity; and

(d) by when it will be possible to irrigate areas in (i) Rajasthan and (ii) Madhya Pradesh according to its capacity?] jar

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० वी० अलगेसन) : (क) चम्बल परियोजना के अन्तर्गत जितनी कुल एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है, वह निम्नलिखित होगी:—

पहली अवस्था

(१) राजस्थान . . . ५·५ लाख एकड़

(२) मध्य प्रदेश . . ५·५ लाख एकड़

दूसरी अवस्था जिसमें पहली अवस्था सम्मिलित है

(१) राजस्थान . . . . .७ लाख एकड़

(२) मध्य प्रदेश . . . . . ७ लाख एकड़

(ख) तथा (ग) इस समय जानकारी उपलब्ध नहीं है । जानकारी संकलित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) राजस्थान और मध्य प्रदेश में परियोजना की पहली अवस्था से पूरे लाभ १९६६–६७ में मिलने की सम्भावना है, जब कि दूसरी अवस्था से ये लाभ चतुर्थ योजना के अन्त तक (१९७०–७१ में) मिलने की सम्भावना है ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI O. V. ALAGESAN): (a) The total acreage of land which can- be irrigated under the Chambal Project will be as under:—

ist Stage

(i) Rajasthan • 5-5 lakh acres

(ii) Madhya Pradesh . .5-5

2nd Stage including 1st Stage

(i) Rajasuiaa . 7 lakh acres

(ii) Madhya Pra esh . 7

(b) and (c) The information is not readily available. It is being collected and will be placed on the Table of the House in due course.

(d) Full benefits from the 1st Stage of the Project are expected to be realised in Rajasthan and Madhya Pradesh in 1966-67 while those from the 2nd Stage are expected to be realised by the end of the Fourth Plan *i.e.*, in 1970-71.]